द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2771/2013

श्री पदमनलाल चौधरी, — अपीलार्थी
मु0 तिलंजनपुर, पो0 भगत देवरी,
तह0 पिथौरा, जिला महासमुंद (छ0ग0)

विरूद्ध

श्री एच0आर0 सोम, — उत्तरवादी क्रं0 01
जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,
महासमुंद, जिला महासमुंद (छ0ग0)

श्री डी0के0 चंद्राकर,, — उत्तरवादी क्रं0 02
प्रथम अपीलीय अधिकारी,/वरिष्ठ उपसंचालक,
कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर,
जिला रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

—:: आदेश ::—
(पारित दिनांक : 12/09/2014)

प्रकरण प्रस्तुत। अपीलार्थी श्री पदमनलाल चौधरी, निवासी तेलंजनपुर, तहसील पिथौरा, जिला महासमंद अनुपस्थित। जनसूचना अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद की ओर से अजय विश्वास, सहायक संचालक उपस्थित। उन्होंने जवाब प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने जानकारी हेतु आवेदन दिनांक 29/05/2013 को प्रस्तुत किया। जानकारी समय पर ना मिलने पर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें आदेश दिनांक 08/08/2013 को पारित किया गया। जिसमें 10 दिवस के भीतर जानकारी प्रदाय किये जाने के निर्देश दिये। जिस पर जनसूचना अधिकारी ने अपीलार्थी 02/08/2013 द्वारा सूचित किया कि जिस फार्मेट में जानकारी मांगी गई है उसमें उसमें जानकारी संधारित नहीं है और फार्मेट में जानकारी दिये जाने का नियम नहीं है अतः वे चाहे तो नियमानुसार अवलोकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। तत्पश्चात यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है कि फार्मेट में जानकारी प्रदाय किये जाने का नियम नहीं है ऐसा कहना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 7(9) का स्पष्ट उल्लंघन है। द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी को सुना भी गया। उनका पक्ष है कि फार्मेट में जानकारी बनाकर जानकारी दिये जाने का प्रावधान नहीं है इसलिए जानकारी नहीं दी जा सकती थी। लेकिन जानकारी से संबधित जो भी अभिलेख रिकार्ड में थे उनकी प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी गई है और अपीलार्थी ने लिखकर दिया है कि उन्हें जानकारी प्रदाय कर दी गई है तथा यह द्वितीय अपील प्रकरण निरस्त किया जावे। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं. 6454/2011 (एस.एल.पी 7526/2009

से उद्भूत) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन तथा अन्य विरूद्ध आदित्य बंदोपाध्याय तथा अन्य में पारित आदेश में पाया गया है कि रिकार्ड में उपलब्ध सूचना ही उपलब्ध करायी जानी है कि उसे एकत्रित कर या संकलित कर देना अधिनियम के प्रावधान में अपेक्षित नहीं है।

इस न्याय दृष्टंत से स्पष्ट है कि जानकारी बनाकर देना अधिनियम के अंतर्गत प्रावधनित नहीं है। इस प्रकरण में निर्धारित प्रपत्र में सूचना/जानकारी मांगी गई है जिसे बनाकर दिया जाना इस अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित नही है फिर भी संबंधित अभिलेखों की जानकारी प्रदाय की गई और वे संतुष्ट है वे द्वितीय अपील को निरस्त करना चाहते है। अतः यह पाते हुए कि जो भी सूचना एव जानकारी उपलब्ध थी दी जा चुकी है और अपीलार्थी स्वयं प्रकरण निरस्त करने चाहते है इसलिए यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त